न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

हीरो स्पेलेन्डर आई–स्मार्ट मोटर साईकिल रजि0 सं0–BR-19G-1839
(ईजन स0– HA12EME9G20058)

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **488/2020–21,**

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं हीरो स्पेलेन्डर आई–स्मार्ट मोटर साईकिल रजि0 सं0–BR-19G-1839 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 373/म0नि0 एवं दिनांक–25.07.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव विशेष वाद संख्या– 264/2020, दिनांक–13.07.2020 में जप्त हीरो स्पेलेन्डर **आई–स्मार्ट मोटर साईकिल रजि0 सं0–BR-19G-1839** के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–घिना चौक (धनश्यामपुर), थाना–बिहरा, घटना की तिथि– 13.07.2020 के साथ वर्णित है कि– "अधीक्षक उत्पाद एवं निरीक्षक मद्यनिषेध, सिमरी बतिख्यापुर के साथ परिभ्रमण के क्रम में उपर्युक्त अंकित स्थान व समय पर पहुँचते ही विपरीत दिशा से एक मोटर साईकिल पर प्लास्टिक के बोरा पीछले कैरियर सीट पर लेकर एक व्यक्ति आ रहा था। बोरा में अवैध शराब के शक के अधार पर उस मोटर साईकिल वाले व्यक्ति को विधिवत रोकने का प्रयास किया। मोटर साईकिल चालक गाड़ी छोड़कर भागा। उस मोटर साईकिल के पास गया मोटर साईकिल काले रंग का हीरो स्पेलेण्डर आई–स्मार्ट पाया। उत्पाद बल को देखकर आये लोगों मे से एक व्यक्ति एवं अपने टीम के दो होमगार्ड को स्वतंत्र साक्षी मानकर अपने व अपने टीम के सभी सदस्यों ने जमा तलाशी दी। तलाशी उपरांत उक्त मोटर साईकिल के तलाशी क्रम में पीछले कैरियल सीट पर लदे पीले रंग के बोरे से लगभग 01 लीटर क्षमता वाले अवैध महुआ शराब, काले रंग के पोलिथिन से बंधा कुल 30(तीस) पीस बरामद। उक्त मोटर साईकिल के चेचिस व डिक्की से मोटर साईकिल संबंधित कागजात मिला। उक्त कागजात	

के आधार पर मोटरसाईकिल का स्वामित्व ललटू यादव पे0 कमल यादव सा0–मकुना थाना–बिहरा सहरसा पाया। उक्त मोटर साईकिल का रजि0 नं0 BR-19G-1839 चेचिस नं0 MBLHA12ACE9H00652 ईंजन नं0 HA12EME9G20058 है। भागने वाले व्यक्ति की पहचान स्वतंत्र गवाहों ने भी ललटू यादव के रूप में ही की । तत्पश्चात् बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत अवैध उत्पाद वस्तु एवं उक्त मोटर साईकिल को जप्त कर जप्त नमूना प्रर्दश तैयार किया। जप्ती सूचि तैयार किया एवं ललटू यादव पे0 कमल यादव के विरूद्ध फरार अभियोग दर्ज किया एवं सारी आवश्यक कानूनी कारवाई घटना स्थल पर विधिवत सम्पन्न किया।"

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त मोटर साईकिल का रजि0 नं0 BR-19G-1839 के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त मोटर साईकिल का रजि0 नं0 BR-19G-1839 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक ललटू यादव, पिता– कमल यादव, साकिन+पोस्ट–मोकना, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

उनका कहना है कि वे जप्त मोटर साईकिल का रजि0 नं0 BR-19G-1839 के स्वामी हैं और उक्त गाड़ी से संबंधित सभी साक्ष्य व कागजात उनके पास है। उनके मोटरसाईकिल को गलत रूप से इस मामले में जप्त किया गया है और जप्त मोटरसाईकिल से किसी प्रकार का अवैध शराब या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। इस मामले की वास्तविकता यह है कि घटना के दिन वे उक्त मोटरसाईकिल से अपने संबंधी के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में शौच लगने पर वे मोटरसाईकिल को सड़क किनारे खड़ा कर शौच करने गये। इसी बीच उत्पाद विभाग द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को बिना किसी कारण के जप्त कर लिया गया।

प्रतिवादी के ओर से अंततः कहना है कि वे इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है। अतः इनके ओर से जप्त मोटरसाईकिल को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य

	निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल रजि0 नं0 BR-19G-1839 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त वाहन से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त जप्त वाहन हीरो स्पेलेन्डर आई–स्मार्ट मोटर साईकिल रजि0 सं0–BR-19G-1839 को अधिहरण करना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त वाहन को सरकार के पक्ष में अधिहरण किया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत। समाहर्त्ता सहरसा। समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 48......./न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

14.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14.01.21